

AMENDMENT ACT, 2023





राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 23, गुरूवार, शाके 1945-अप्रेल 13, 2023 Chaitra 23, Thursday, Saka 1945- April 13, 2023

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(**गुप-2**) अधिसूचना

जयप्र, अप्रैल 12, 2023

संख्या प.2(37)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमित दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 10)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हुई)

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 2019 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 3. 2019 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7 में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 12, 2023

No. F. 2(37)Vidhi/2/2022.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Sookshma, Laghu Aur Madhyam Udhyam (Sthapana Aur Pravartan Ka Sukarikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 10):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2023

(Act No. 10 of 2023)

(Received the assent of the Governor on the 11th day of April, 2023)

An

Act

to amend the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2023.
 - (2) It shall come into force at once.
- **2.** Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 14 of 2019.- In section 6 of the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 (Act No. 14 of 2019), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "period of three years", wherever occurring, the expression "period of five years" shall be substituted.
- **3. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 14 of 2019.-** In section 7 of the principal Act, for the existing expression "period of three years", the expression "period of five years" shall be substituted.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता, Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।